न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—615/2012/225 (2012/00050)

1. छोगाराम पुत्र कालूराम,
2. गंगाराम पुत्र कालूराम,
3. श्रवण पुत्र गोरधन,
4. बोदूराम पुत्र गोरधन,
5. हरिराम पुत्र गोरधन,
6. भंवरी बेवा गोरधन,

समस्त जाति गुर्जर (बोकण), नि0 रामगढ़ (कल्याणीपुरा) तह0 किशनगढ़ जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

श्री मंदिर सालगराम जी महाराज मूर्ति जरिये पुजारीः—

1. मांगीदास पुत्र स्व0 हनुमान दास, नि0 कल्याणीपुरा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 14.8.2012 अंतर्गत प्रकरण संख्या 187/2011.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विकास पाराशर, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 18.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 14.8.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 की ओर से जरिये पुजारी मांगीदास व प्रहलाद दास ने एक राजस्व वाद अधी0न्या0 के समक्ष धारा 183 राज0काश्त0अधि0 1955 बाबत् बेदखली हेतु प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 102 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नंबर 109 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा भूमि माफी मंदिर सालगराम जी स्थान कल्याणीपुरा की खातेदारी में दर्ज है । वादीगण के पूर्वज पुजारी थे एवं वर्तमान में उनकी मृत्यु के बाद मंदिर की पूजा—अर्चना करते आ रहे है । पूर्व में माफी पुजारी के नाम खुदकाश्त चली आ रही थी जिसे दिनांक 4.6.1992 को पुजारियो के नाम विलोपित किया जाकर वर्तमान में मंदिर के नाम दर्ज है । उक्त आराजी पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 व उनकी

परिवार की औरतों ने जबरन कब्जा कर लिया है । उन्हें कब्जा हटाने बाबत् कहा तो मना कर दिया । इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 प्रस्तुत कर विवादित आराजियात पर रिसीवर नियुक्त किये जाने की भी प्रार्थना की । प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के कथनों से इंकार किया । अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 21.10.2011 द्वारा विवादित आराजियात पर तहसीलदार, रूपनगढ़ को रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किये । उक्त आदेश के उपरांत अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) राज0काश्त0अधि0 पेश कर अधी0न्याया0 से विवादित आराजियात को नकद प्रतिभूति पर काश्त दिलवाने हेतु प्रार्थना की जिसे अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 14.8.2012 द्वारा निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । राज0काश्त0अधि0 में धारा 212 व 212 (2) के प्रावधान है जिसके तहत धारा 212 (2) के तहत उसी न्यायालय को जिसने विवादित आराजियात पर रिसीवर नियुक्त किया है अथवा बिना रिसीवर नियुक्त किये काबिज व्यक्ति को नकद प्रतिभूमि पर काश्त दिलाये जाने के प्रावधान है । इसी कारण अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) पेश कर विवादित आराजियात को नकद प्रतिभूमि पर काश्त पर दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था । अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष गलत है कि रिसीवर नियुक्त यिके जाने के पश्चात् किसी भी स्थिति में विवादित भूमि नकद प्रतिभूति पर नहीं दी जा सकती है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 की ओर से जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह धारा 183 के तहत प्रस्तुत किया है जिसके तहत बेदखल किये जाने का प्रावधान है जिसमें संपूर्ण वाद की ट्रायल होने के पश्चात् डिक्री पारिज की जाती है लेकिन अधी0'न्याया0 ने धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर रिसीवर नियुक्त कर एक तरफ से अपीलांटस को बेदखल कर दिया है जो गलत है । अगर न्यायालय यह मानता है कि जो व्यक्ति काबिज है तो वाद के निर्णय तक उसे नकद प्रतिभूमि पर काश्त करने हेतु आराजी दिलाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित था । अधी0न्याया0 के समक्ष मंदिर की ओर से पुजारी ने जो वाद प्रस्तुत किया है वह उसे प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वादी मंदिर का पुजारी नहीं है न ही उसने देवस्थान विभाग से पुजारी होने का प्रमाण पत्र पेश किया है। यह भी कथन किया कि वादी ने आदेश 1 नियम 8 जा0दी0 के तहत वाद प्रस्तुत करने की अनुमति भी प्राप्त नही की है जिससे भी वाद एवं प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी विधिक तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 14.8.2012 को निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तत प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) को स्वीकार किया जावे। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1986 पेज 1, आर0आर0डी0 1995 पेज 640, आर0बी0जे0 2003 पेज 288, आर0बी0जे0 1955 पेज 38, आर0आर0डी0 1993 पेज

435, आर0बी0जे0 2000 पेज 573, आर0बी0जे0 1998 पेज 59 एवं आर0बी0जे0 1996 पेज 145 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात से मंदिर मूति सालगराम जी महाराज की है । मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी आराजियात बाबत् किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । विवादित आराजियात की सुरक्षा हेतु विवादित आराजियात पर तहसीलदार, रूपनगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया गया है जिसे किसी भी सूरत में प्रतिभूति पर दिया जाना न्यायोचित नहीं है । विवादित भूमि का कब्जा रिसीवर द्वारा लिया जा चुका है तथा कब्जा काश्त अपीलांटस का नहीं है जिससे अपीलांटस को किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर विवादित आराजियात की सुरक्षा हेतु रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया था जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर विवादित आराजियात पर तहसीलदार, किशनगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात माफी मंदिर श्री सालगराम जी महाराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी आराजियात की सुरक्षा किया जाना न्यायालय का दायित्व है । इसके अतिरिक्त मंदिर मूर्ति (नाबालिग) की भूमि से कोई भी व्यक्ति अनुचित लाभ प्राप्त नहीं कर सके यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। मूल वाद अभी विचाराधीन है । वर्तमान में मंदिर मूर्ति की आराजियात की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्वान अधी0न्याया0 ने नायब तहसीलदार, किशनगढ़ को विवादित आराजियात पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पारित किये है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात नायब तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा रिसीवरी में ली जा चुकी है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश में हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.8.2012 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर